



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02012021-224126  
CG-DL-W-02012021-224126

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2020, शनिवार / अग्रहायण 29 — पौष 5, 1942  
No. 41] NEW DELHI, DECEMBER 20 - DECEMBER 26, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 29 - PAUSHA 5, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.198.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'ख', भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

<p>thereto on a regular basis in posts in level-7 in the pay matrix (44,900 – 1,42,400 ) or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Degree from a recognised University or Institute ; and</p> <p>ii) Two years' experience in Administration, Establishment work in a Government office or Public Sector Undertakings or autonomous body or statutory body.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3:</b> The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4 :</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the last date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[A.11018/30/2017-MH II]  
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि.199.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्लास्टर कटर, प्लास्टर तकनीशियन और वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्लास्टर कटर, प्लास्टर तकनीशियन और वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लास्टर कटर	04 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	चयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) सरकारी या सरकार से मान्यताप्राप्त अस्पताल में प्लास्टर रूम/प्लास्टर कटिंग का एक वर्ष का कार्य अनुभव/प्रशिक्षण।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
अन्य समूह 'ग' कर्मचारी वर्ग में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपए) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	<b>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</b> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। <b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</b> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लास्टर तकनीशियन	06 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	चयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक अर्हता :</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, और</p> <p>(ii) सरकारी या सरकार से मान्यताप्राप्त अस्पताल में प्लास्टर कटर के रूप में कार्य करने का पाँच वर्ष का अनुभव।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता : हाँ</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।</p>	<p>40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, और</p> <p>60% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टर कटर में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900-63200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ;</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण -1</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण - 2</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;</li> <li>2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य;</li> <li>3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।</li> </ol> <p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;</li> <li>2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य;</li> <li>3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन	01 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (25500-92300 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b> सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टर तकनीशियन में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 3 (21700-69100 रुपए) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) प्लास्टर तकनीशियन के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण- 1</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण - 2</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;</li> <li>2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य;</li> <li>3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।</li> </ol>	लागू नहीं होता।

[ए.12018/18/2016-एमएच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 14th December, 2020

**G.S.R. 199.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Plaster Cutter, Plaster Technician and Senior Plaster Technician in the Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Safdarjang Hospital, New Delhi, Plaster Cutter, Plaster Technician and Senior Plaster Technician ( Group 'C' ) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post (1)	Number of posts (2)	Classification (3)	Level in pay Matrix (4)
Plaster Cutter	04 (2020)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix.

Whether selection post or Non-selection post (5)	Age limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)
Selection	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission or the competent authority.	<b>Essential :</b> (i) 12 <sup>th</sup> class pass from a recognised Board And (ii) One year working experience or training in the Plaster Room or plaster cutting from a Government or Government recognised hospital.	<b>Age :</b> No <b>Educational qualification :</b> Yes

Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made (11)
Two years for direct recruits.	100 % by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion from other Group 'C' Staff with three years regular service in level-1 of the pay matrix (18000-56900).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman;</li> <li>2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member;</li> <li>3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.</li> </ol> <p><b>Departmental confirmation Committee (for considering promotion) consisting of :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman;</li> <li>2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member;</li> <li>3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.</li> </ol>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
Plaster Technician	06 (2020)* * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	<p>Between 18-25 Years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission or the competent authority.</p>	<p><b>Essential Qualification:</b></p> <p>(i) 12<sup>th</sup> class pass from a recognised Board and</p> <p>(ii) Five years working experience as Plaster Cutter from a Government or Government recognised hospital.</p>	Age : No Educational qualifications: Yes

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	<p>40% promotion failing which by deputation</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>60% deputation failing which by direct recruitment</p>	<p><b>Promotion :</b></p> <p>Plaster Cutter of Safdarjang Hospital with eight years regular service in the grade in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Offices of the Central Government or State Government or Union territory administration, -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) officials in Level- 3 (21700-69100) in the pay matrix with five years regular service in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) officials in Level-2 (19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the parent cadre or Department;</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder</p>



		category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.  <b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--	---

(12)	(13)
<b>Departmental promotion Committee( for considering confirmation) consisting of :</b> 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital - Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital - Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services - Member.  <b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</b> 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Plaster Technician	01 (2020)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 25500-92300) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	100% by promotion failing which by deputation.	<b>Promotion :</b> Plaster Technician of Safdarjang Hospital with five years regular service in the grade in Level-4 in the pay matrix (25500- 81100).  <b>Deputation :</b> Offices of the Central Government or State Government or Union territory administration, - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) officials in Level- 4 in the pay matrix ( 25500-81100) with five years regular service in the parent cadre or Department ; or (iii) officials in Level- 3 (21700- 69100) in the pay matrix with ten years regular service in the parent cadre or Department; and (b) Five years experience as Plaster Technician.  <b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by

		promotion. <b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--	---

(12)	(13)
<b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</b> 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[A.12018/18/2016-MH II]  
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 200.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, व्यावसायिक चिकित्सक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,